

क्रमांक F 30()/NNM/JPC-WD/ICDS/2018/ 121797

दिनांक : 04/07/2018

कार्यालय आदेश

पोषण अभियान अन्तर्गत संचालित की जाने वाली गतिविधियों को समयबद्ध रूप से राज्य के सभी 33 जिलों में संचालित करने हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी Operational Guideline के अनुसार राज्य स्तर पर कार्यों के सम्पादन के लिए संयुक्त परियोजना समन्वयकों को निम्नानुसार कार्यों एवं दायित्वों का आवंटन किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम अधिकारी मय पद	आवंटित कार्य
1.	श्री मनोज कुमार, अतिरिक्त निदेशक (पो.) / नोडल अधिकारी (पोषण अभियान)	<ul style="list-style-type: none"> ● अतिरिक्त निदेशक (पो.) राज्य में पोषण अभियान के क्रियान्वयन हेतु प्रभारी अधिकारी होंगे। ● राज्य में पोषण अभियान की गतिविधियों का समयबद्ध एवं निर्धारित गाइडलाइन अनुसार क्रियान्वयन। ● पोषण अभियान की गतिविधियों की मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण। ● नोडल अधिकारी (पोषण अभियान) की लिंक अधिकारी अतिरिक्त निदेशक (I) होंगे।
2.	डॉ. धर्मवीर, (JPC-Ist) संयुक्त परियोजना समन्वयक (ICT-RTM)	<ul style="list-style-type: none"> ● राष्ट्रीय पोषण मिशन अन्तर्गत क्रय किये जाने वाले समस्त आईटीएम, उपकरणों/सेवाओं का RTTP Act एवं GeM अनुसार उपापन। ● ICT-RTM का पूर्ण क्रियान्वयन एवं भौतिक एवं वित्तीय कार्य- योजना/SOP संबंधी कार्य ● ICT-RTM के अन्तर्गत स्मार्टफोन कॉन्फिगरेशन, सिम प्रोव्हायरमेंट एवं विभिन्न स्तर पर प्रशिक्षण आयोजन संबंधी कार्य। ● CAS आधारित मॉनिटरिंग। ● अर्न्तविभागीय एवं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार से भौतिक एवं वित्तीय रिपोर्ट के सम्बन्ध में पत्राचार एवं समन्वय। ● आंगनवाडी कार्यकर्ताओं को Incentivize एवं फ्लेक्सी फण्ड प्लान आदि संबंधी कार्य ● मानक संसाधन की मॉनिटरिंग एवं अप्रेजल करना। ● पोषण अभियान की मीटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंस आहुत करवाना एवं भाग लेना। ● पोषण अभियान के अन्तर्गत होने वाले समस्त वित्तीय, ऑडिट एवं अन्य प्रशासनिक कार्य। ● पोषण अभियान अन्तर्गत समानान्तर चलने वाली अन्य गतिविधियों का संचालन। ● निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ एवं नोडल अधिकारी (पोषण अभियान) द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों की पालना सुनिश्चित करना। ● संयुक्त परियोजना समन्वयक (ICT) के लिंक अधिकारी संयुक्त परियोजना समन्वयक (CM & BCC) होंगे।
	श्रीमती ऋचा चतुर्वेदी, (JPC-IIInd) संयुक्त परियोजना समन्वयक (CM & BCC)	<ul style="list-style-type: none"> ● ILA/e-ILA गतिविधियों का पूर्ण क्रियान्वयन करवाना एवं ILA/e-ILA के अन्तर्गत विभिन्न स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित करवाना एवं मॉनिटरिंग संबंधी कार्य। ● प्रशिक्षण की भौतिक एवं वित्तीय रिपोर्ट तैयार करना। ● राष्ट्रीय पोषण मिशन अन्तर्गत संचालित IEC & Advocacy, जन आन्दोलन, मीडिया प्लान तैयार करवाना एवं क्रियान्वित करना। ● CBE गतिविधियों का क्रियान्वयन, मॉनिटरिंग एवं रिपोर्टिंग संबंधी कार्य ● IEC एवं जन आन्दोलन हेतु रूप रेखा तैयार करना। ● विभिन्न विभागों/एन.जी.ओ./वी.ओ./पी.आर.आई. के साथ कॉर्डिनेशन।

		<ul style="list-style-type: none"> • विभिन्न स्तरों पर समीक्षा बैठक आयोजित करना। • प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करना। • महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ समन्वय। • निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ एवं नोडल अधिकारी (पोषण अभियान) द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों की पालना सुनिश्चित करना। • संयुक्त परियोजना समन्वक (अभिसरण) के लिंक अधिकारी संयुक्त परियोजना समन्वक (अभिसरण) होंगे।
3.	सुश्री लवलीन शर्मा, (JPC-IIIrd) संयुक्त परियोजना समन्वयक (अभिसरण)	<ul style="list-style-type: none"> • पोषण अभियान अन्तर्गत संचालित Convergence Action Plan एवं Grievance Redressal (Call Centre) गतिविधियों का सम्पूर्ण क्रियान्वयन। • पोषण अभियान अन्तर्गत संचालित होने वाले Innovation Pilot Project को क्रियान्वयन। • राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर Convergence Committee गठन आदि कार्य • राष्ट्रीय पोषण मिशन अन्तर्गत विभिन्न स्तरों पर Convergence Plan तैयार कराना एवं क्रियान्वित कराना। • Convergence Plan अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के आमुखीकरण/प्रशिक्षण आयोजित करना। • विभिन्न विभागों/एन.जी.ओ./वी.ओ./पी.आर.आई. के साथ कॉर्डिनेशन। • जिला कलक्टर के साथ त्रैमासिक रूप से एवं अन्य स्तरों पर Convergence Plan के क्रियान्वयन हेतु समीक्षा बैठक आदि। • प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करना। • महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ समन्वय करना। • निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ एवं नोडल अधिकारी (पोषण अभियान) द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों की पालना सुनिश्चित करना। • संयुक्त परियोजना समन्वक (अभिसरण) के लिंक अधिकारी संयुक्त परियोजना समन्वक (ICT-RTM) होंगे।

Jan
निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर
दिनांक : 04/07/2018

क्रमांक F 30()/NNM/JPC-WD/ICDS/2018/ 121798-121852

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, निदेशक, पोषण अभियान, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ, जयपुर।
5. समस्त अधिकारीगण, निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ, जयपुर।
6. संबंधित.....
7. समस्त उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग।
8. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएँ।
9. एसीपी (उप निदेशक), मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

Jan
निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर